

Order Sheet [Contd]

Case No 202/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30-05-17	<p>आवेदक/आरोपी वीरेन्द्र सिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 339/16 धारा 326, 147, 148, 149, 324, 294, 506 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक अपनी सरसों की फसल में पानी दे रहा था तब फरियादी पक्ष ने उसकी लाठी, कुल्हाड़ी एवं फर्सा से मारपीट की जिस पर से फरियादी पक्ष के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उक्त अपराध से बचने के लिए यह झूठा अपराध उनके विरुद्ध पंजीबद्ध करा दिया गया है। आवेदक दिनांक 17.05.17 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के सहअभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण के सहआरोपीगण को इस न्यायालय द्वारा एवं आरोपी महेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का मामला जमानत पाए सहआरोपीगण से भिन्न नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को भी जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर रामवीर को लुहांगी लाठी मारने का आरोप है तथा प्रकरण के सहआरोपी महेन्द्र द्वारा रामवरन के सिर में कुल्हाड़ी मारने का आरोप है, शेष आरोपीगण पर डंडों, लात घूसों से फरियादी पक्ष के साथ मारपीट करने का आरोप है।</p> <p>प्रकरण के सहआरोपी महेन्द्रसिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा</p>	

एम.सी.आर.सी. क्रमांक 4686/17 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किए हैं। शेष सहआरोपीगण गिर्राज, रामवरन, अशोकसिंह को इस न्यायालय द्वारा नियमित प्रतिभूति पर छोड़ा गया है, जबकि प्रकरण के सहआरोपी शैलेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1628/17 में पारित आदेश दिनांक 06.03.17 के द्वारा तथा जगदीश सिंह को एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1627/17 में आदेश दिनांक 06.03.2017 के द्वारा अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर आहत धर्मवीर को सिर में लुहांगी से चोट पहुँचाए जाने का आरोप है, जबकि आरोपी के समान ही सहआरोपी महेन्द्र पर कुल्हाड़ी से रामवरन को सिर में चोट पहुँचाए जाने का आरोप है। सहआरोपी महेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया है। आहत धर्मवीर को मेडीकल परीक्षण में चार चोटें पाई गई हैं। आहत धर्मवीर के एक्सरे परीक्षण अनुसार किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं पाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का मामला जमानत पाए सहआरोपी महेन्द्र से गुरुत्तर प्रकृति का नहीं है। अतः समानता के आधार पर आवेदक/अभियुक्त भी नियमित जमानत की पात्रता रखता है।

परिणाम: आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि उसकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य 50000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र निम्न शर्तों के आधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें—

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
 2. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
 3. साक्षियों को डराएगा धमकाएगा नहीं एवं प्रलोभित नहीं करेगा।
- आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्राधिकारित रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जावे।
- आदेश की प्रति के साथ केश जयरी संबंधित थाने को बापस की जावे।
- प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

आदेश की प्रति के साथ केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद
जिला- भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)